

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 20, 2014/पौष 30, 1935

No. 140]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 20, 2014/PAUSHA 30, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2014

का.आ .145(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि दादर — नागर हवेली संघ शासित प्रदेश राज्य में दहेज — उरान और स्पर पाइपलाइन परियोजना से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ,एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में ,जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है ,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब ,भारत सरकार ,पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 ,(1962का50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करते हुए ,उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति ,जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है ,उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है ,इक्कीस दिन के भीतर ,भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में , सक्षम प्राधिकारी ,गेल (इण्डिया) लिमिटेड को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तालुका	गांव	सर्वेक्षण सं./ब्लॉक नं.	उ.का.अ. के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (स्के. मीटर में)
1	2	3	4	5
दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली	खडोली	108/1 पी	
			109/1/1	
			108/2	6464
			108/8 पी	
दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली	सुरंगी	सकरतन नदी	1080
			131	1933
			वन	175
			131/1	3097
			130/2	
			130/3	
			135/1	1897

[फा. सं. एल-14014/27/2013-जी.पी.-I]

एस. पी. अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20 January, 2014

S.O. 145(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Dahej – Uran & Spur Pipeline Project in the Union Territory of Dadar – Nagar Haveli, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited.

SCHEDULE

District	Taluk	Village	Survey No./Block No.	Land to be acquired for R.O.U. (in Sqm)
1	2	3	4	5
Dadra and Nagar Haveli	Dadra and Nagar Haveli	Khadoli	108/1P	
			108/1/1	
			108/2	6464
			108/8P	
Dadra and Nagar Haveli	Dadra and Nagar Haveli	Surangi	Sakarton River	1080
			131	1933
			Forest	175
			131/1	
			130/2	3097
			130/3	
			135/1	1897

[File No. L-14014/27/2013-G.P-I]

S. P. AGARWAL, Under Secy.